

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज शिवाराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी ) सू.अ.अ. अपील संख्या 88/2018	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.18	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी शिवाराम पुत्र गंगाराम मेघवाल पता मु०पो० खुडाला तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.06.18 में उसके द्वारा (1) गांव खुडाला से मिठिया बेरा जाने वाला रास्ता खसरा संख्या 289/1, रकबा 5 बीघा के मूल कटाणी रास्ता पर वर्तमान में कुल कितने अतिक्रमण एवं कब्जा मौजूद है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. ( तहसीलदार लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	